तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
7/10/22	वकुलाग .... उपस्थित। सम्बंधित आदेश दिनांक........23/9/22........ की पालना में पत्रा वी वास्ते....प्रेषणार्थ संशोधित अपील.... दिनांक........10/10/22........ को पेश हो। खण्ड अधिकारी [redacted]	
10/10/22	वकुलाग .... उपस्थित। सम्बंधित आदेश दिनांक........23/9/22........ की पालना में पत्रा वी वास्ते....प्रेषणार्थ तलबी/वारिसान.... दिनांक........18/10/22........ को पेश हो ये नोटिस पेश किया खण्ड अधिकारी [redacted]	
18/10/22	वकुलाग उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी अप्रार्थी से 4 उसका जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस 212 RTA दिनांक 3/11/22 को पेश हो।	
3/11/22	वकुलाग उपस्थित प्रा०पत्र 212 RTA पर बहस वकुलाग सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 18/11/22 को पेश हो SDO	
18/11/22	वकुलाग .... उपस्थित। सम्बंधित आदेश दिनांक........3/11/22........ की पालना में पत्रा वी वास्ते....आदेश.... दिनांक........29/11/22........ को पेश हो समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया खण्ड अधिकारी [redacted]	
29/11/22	वकुलाग उपस्थित। प्रार्थी का प्रा० पत्र 212 RTA स्वीकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे दिनांक 3.8.22 को भी खारिज किया जाता है। निर्णय हेतु नियत पत्रावली खोली गई पूर्व आदेश अनुसार जारी किया गया। पत्रावली फैसला हुआ। (विस्तृत आदेश पृथक से जारी किया) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (...) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 221 / 2020

वउनवान

1. गोविन्द पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर
2. विज्जो पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. बच्चूसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
2. रामचरण पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
3. गोकल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर जिला अलवर
4. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा –

श्री मानसिंह चौधरी –अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री कृपादयाल गुर्जर– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 3 की ओर से

आदेश

दिनांक 29.11.2022

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायलानद्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 98, 96/404, 122, 258, 276, 58, 59, 71, 72, 73, 76, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 192, 193, 228, 78 ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी हैं। सायलान एंव गैरसायल सं0 1 ला0 3 के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी को राजी खुशी नहीं बांटेगें और विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 3 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर सायलान के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि सायलान ने विवादित आराजी के अलावा खसरा नम्बर 67, 68, 69, 75, 100, 217 वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर को प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। विवादित आराजी अवट ना होकर अर्सा करीब 50 साल पहले की मौके पर वंटी हुई आराजी है। जिस घरू वंटवारा के अनुसार ही विवादित व अन्य आराजी पर काश्त हो रही है। वहामी वंटवारा में आराजी खसरा नम्बर 58, 59,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

73, 75, 76, 85, 86, 91, 92, 99, 100, 217 गैरसायलान के हक हिस्सा व शेष आराजी सायलान व अन्य साझीदारान के हक हिस्सा व कब्जे में आई। गैरसायलान अपने हक हिस्सा में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। गैरसायलान ने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारा में मिली आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। सायलान को अव पुनः वंटवारा कराने का अधिकार नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077वाके ग्राम ईसरोतीकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान, गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की सहमति से वंटी हुई है। पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार का तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान कीं शामलात खातेदारी में दर्ज है। लेकिन गैरसायलान का कथन है कि विवादित आराजी पचासों साल से वंटी हुई है। विवादित आराजी वंटी है या अवट ये तथ्य तो मूल वाद में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य आने पर तय किये जावेगें। लेकिन गैरसायलान राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें नुकशान व क्षति होना संभव है। सायलान को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है सावित करने में असफल रहे है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 03.08.2022 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 29.11.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)